कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत पारेषण मण्डल– प्रथम   दूरभाषः– 2261069
CIN-40101UP2004SGC028687
उत्तर प्रदेश पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
पनकी–कानपुर

पत्रांक–562 /वि0प्रे0म0प्र0 (का0)/टी0–1   दिनांक 27.04.2024

विषयः– ई– निविदा प्रकाशन हेतु ।

1 – स्वतंत्र चेतना कानपुर।   2 – इण्डियन एक्सप्रेस लखनऊ।

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में दिनांक शीघ्रतम अंक में कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 8–10 प्वाइन्ट टाइप में तथा अंग्रेजी के समाचार पत्रों के लिये 6–8 प्वाइन्ट टाइप मे) समाचार पत्र के केवल एक कालम में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें । हैडिंग व नीचे का नाम व पता यथा सम्भव एक ही लाइन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें ।

1– निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर ही करने की व्यवस्था करें ।

2 प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण बाउचर प्रतियाँ संलग्न करते हुये भुगतान हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल–प्रथम उ0 प्र0 पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन लि0, पनकी, कानपुर को प्रेषित करें । विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नही होगा ।

3 अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, उ0 प्र0 पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन लि0, पनकी, कानपुर द्वारा सम्बन्धित बिलों को पारित करने के पश्चात पारित बिलों को भुगतान हेतु कार्यालय उप मुख्य लेखाधिकारी (पारे0द0प0), बी–682, कमला नगर, आगरा को प्रेषित किये जायेगें ।

4 संलग्न हिन्दी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जायेगा

5 विज्ञापन प्रकाशित होते ही बिलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाय अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नही किया जायेगा ।

6 यदि आपको सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें । अधोहस्ताक्षरी को अबिलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें ।

7 विज्ञापन के अन्त में सबसे छोटे टाइप में "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें ।

8 उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भददे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है ।

संलग्न :– विज्ञापन आदेश प्रथम व द्वितीय प्रति ।

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत प्रेषण मण्डल–प्रथम
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0
पनकी–कानपुर

प्रतिलिपि विज्ञापन सामग्री सहित निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 मुख्य अभियन्ता (पा0द0प0), उ0 प्र0 पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन लि0, आगरा ।

2 उप मुख्य लेखाधिकारी (पारे0द0प0) उ0 प्र0 पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन लि0, बी–682, कमला नगर, आगरा

3 कोषा लिपिक मण्डल कार्यालय /सम्बंधित निविदा पत्रावली/कट फाइल ।

अधीक्षण अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत प्रेषण मण्डल–प्रथम
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0
पनकी–कानपुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
निविदा सूचना

इस कार्यालय के द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादन हेतु अनुभवी, दक्ष एवं जी0एस0टी0 में पंजीकृत ठेकेदारों से ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है जिसका विस्तृत विवरण टेन्डर बेवसाईट www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

ई–निविदा संख्या – 01/2024–25/ विद्युत प्रेषण खण्ड प्रथम, कानपुर के अन्तर्गत 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बिल्हौर, पर प्रोटेक्शन रिले के रेट्रोफिटिंग सम्बन्धी कार्य। ई–निविदा संख्या 02/2024–25/ विद्युत प्रेषण खण्ड प्रथम, कानपुर के अन्तर्गत उपकेन्द्रों पर परिवर्तकों के कूलिंग फैन मरम्मत सम्बन्धी कार्य। ई–निविदा संख्या 03/2024–25/ विद्युत प्रेषण खण्ड प्रथम, कानपुर के अन्तर्गत 220 के0वी0 उपकेन्द्र बिठूर पर परिवर्तकों में स्थापित एन0 एफ0 पी0 एस0 (CTR Make) के मरम्मत सम्बन्धी कार्य।

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत पारेषण मण्डल, प्रथम, पनकी, कानपुर

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत प्रेषण मण्डल–प्रथम
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0
पनकी–कानपुर

" राष्ट्र हित में बिजली बचाये "
उपभोक्ता सेवा हेतु सम्पर्क करें– www.uppcl.org

उपरोक्त विवरण ही प्रकाशित किया जाना है निम्न नाम, पदनाम एवं मुहर को प्रकाशित नहीं किया जाना है।

पत्रांक : 862 /वि0प्रे0म0 प्रथम प0 (का0)/टी0–1 दिनांक : 27.04.2024